



R-1366-11/16

53

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-सतना

रावेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिमंगल सिंह,
निवासी - ग्राम सेमरी, तहसील अमरपाटन,
जिला - सतना (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

- 1- रामसजीवन पुत्र श्री रामसुन्दर,
- 2- मुस. फूलनदेवी वैवा श्री रामसुन्दर,
- 3- सिद्धगोपाल (मृत) श्री परमेश्वरदीन,
निवासीगण - ग्राम सबरका, तहसील
अमरपाटन, जिला - सतना (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री. रावेन्द्र प्रताप सिंह
द्वारा आज दि. 02.5.16
प्रस्तुत
02.5.16

श्री. रावेन्द्र प्रताप सिंह
02/5/16

न्यायालय तहसीलदार, तहसील अमरपाटन, जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान अनावेदक क्रमांक 3 सिद्धगोपाल पुत्र श्री परमेश्वरदीन का देहान्त वर्ष 2014 में हो गया था, किन्तु अनावेदकगण द्वारा इसके संबंध में कोई आवेदन पत्र तथा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी और प्रकरण में मृतक को पक्षकार मानकर कार्यवाही की जा रही है, जो किसी भी स्थिति में विधिवत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3- यहकि, आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया था कि अनावेदकगण क्रमांक 3 की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु उन्हें प्रकरण में पक्षकार मानकर कार्यवाही की जा रही है, जो वैधानिक नहीं है, इसलिए प्रकरण मात्र इसी आधार पर समाप्त किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक आपत्ति पर विचार किये बिना, प्रकरण में

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-1366-दा/16

जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... ग्वालियर... के प्रकरण क्रमांक ... 77/अ-6/2-13... में पारित आदेश दिनांक 5-4-16... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कौन्सिलर सतना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को कौन्सिलर सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	